न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 91/2023
जीसीएमएस न0 2023/351

1. कैलाशी बाई पत्नी भैरूपुरी निवासी लसडावन तहसील निम्बाहेडा।

..प्रार्थिया

बनाम

1. तहसीलदार निम्बाहेडा।

...विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता प्रार्थी – प्रार्थी स्वंय
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक 18.11.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि कि मुझ प्रार्थिया के पति का देहांत दिनांक 26.02.2019 को ग्राम लसडावन में हो गया है। जिनके खातेदारी की आराजीयात वाके मोजा ग्राम लसडावन में है जिसके खाते सख्या 436 है।

2. उक्त खाते में मेरे पति के बजाय मुझ प्रार्थिया एवं मेरी पुत्रियों कान्ता, पुष्पा एवं संपत के नाम पर नामान्तकरण खुला है। जिसमें मुझ प्रार्थिया के नाम के आगे पत्नी नारायण पुरी अंकित हो गया है तथा पुत्रियों के नाम के आगे पिता के बजाय दादा जी का नाम नारायण पुरी अंकित हो गया है। जबकि खाते में मुझ प्रार्थिया का नाम कैलाश बाई पत्नी भैरूपुरी एवं पुत्रियो का नाम कान्ता देवी, पुष्पा देवी व सम्पत देंवी पिता भैरूपुरी अंकित होना चाहिए। उक्त गलती लिपिकीय भूलवश हुई। जिसे शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अनुशंषा मय जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि ग्राम लसडावन के खाता संख्या 436 जो कि श्री मैरूपुरी पिता नारायणपुरी के नाम था का विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय पुत्रियों के पिता का नाम नारायणपुरी दर्ज हो गया एंव प्रार्थी के पति का नाम भी सहवन से नाराय[illegible] है।जांच पर जाहिर आया कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकार के आवेदन अन्य स्थ[illegible] पर [illegible] दिए गए जिससे प्रार्थी का खाता दुरस्त होकर वर्तमान में खाते [illegible] दुरस्त कर भेरूपुरी कर दिया गया है जिसकी जमावन्दी [illegible] जिससे अब आगे को[illegible]र्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त योग्य [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:51:10 IST
Reason: SelfAttested

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम लसडावन के खाता संख्या 436 जो कि श्री मैरूपुरी पिता नारायणपुरी के नाम था का विरासत नामान्तरकरण दर्ज करते समय पुत्रियों के पिता का नाम नारायणपुरी दर्ज हो गया एंव प्रार्थी के पति का नाम भी सहवन से नारायणपुरी दर्ज होना बताया गया किन्तु पूर्व में ही प्रार्थी का खाता दुरस्त होकर वर्तमान में खाते में पिता एंव पति का नाम दुरस्त कर भेरूपुरी कर दिया गया है जिससे अब आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:51:10 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा